न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 61/2021

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. विरधाराम पुत्र चेनाराम 2. तीजोंदेवी पत्नि तगाराम जाति जाट निवासी मोतीसरा, पायला खुर्द तहसील सिणधरी	1. तेजाराम पुत्र खरताराम जाति जाट निवासी मोतीसरा, पायला खुर्द तहसील सिणधरी 2. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री जोगराज पोटलिया प्रतिवादीगण 1 की ओर से उप.।
3. प्रतिवादी सं. 2 के पैरोकार उप.।

निर्णय

दिनांक– 07.11.2024

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा मोतीसरा पटवार मण्डल पायला खुर्द के खसरा संख्या 231 रकबा 0.0566 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 232 रकबा 11.6658 हैक्टयर भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 20.06.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीनी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

इसके विपरीत वकील प्रतिवादी ओर से आपत्ति प्रार्थना पत्र विभाजन प्रस्ताव पर बहस के तथ्यों को कथन करते हुए निवेदन किया कि न्यायालय श्री द्वारा जारी प्रा0 डि0 तैयार करते समय वर्तमान में कब्जे काश्त के आधार पर नहीं बनाया गया है। जिसमें कि कटाण ढाणी के खसरे मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:38:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

मेरा हिस्सा नहीं दिया गया है जबकि घर के खसरे में मेरा हिस्सा है और घर के पास मेरे 4 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए मेरे खसरा नम्बर 231 में हिस्से का विभाजन करवाने हेतु पुनः प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे।

प्रतिवादी वकील की बहस के तथ्यों का वादी वकील खण्डन करते हुए अपनी बहस एवं दलील के तथ्यों में कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जे काश्त के अनुरूप बाइ मिट्स एण्ड बाउण्ड पक्षकारान के रूबरू तैयार किया गया है,जिसकी सूचना के नोटिस पक्षकारान को दिये गये तथा मौके पर सेढा पड़ौसियान की उपस्थिति में तैयार किया गया है, जो सही है। प्रतिवादी द्वारा वादी सं. 1 जो कि वृद्ध एवं एकल महिला है, जिसे नाजायज परेशान करने एवं उसके हितो को कुठाराघात करते हुए अपने कब्जे से अधिक भूमि पर अतिक्रमण होने से उसके बेदखली अथवा वास्तविक कब्जा पाने की शंर्कीण मानसिकता से परे जाकर तथ्यहीन तर्क दिये जाकर आपत्ति प्रस्तुत की जा रही है, जो उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में जब पक्षकारान के मध्य उनके कब्जे काश्त अनुसार विभाजन के वाद में प्रा.डिकी की पालना में बाइ मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। जहां तक ढाणी में खसरे की भूमि में उसका हिस्सा होने अथवा उस हिस्से की भूमि प्रतिवादी को दिये जाने की इस्तदुआ है, ऐसी स्थिति में तैयार विभाजन प्रस्ताव में समस्त पक्षकारान को उनके हिस्से में आने वाली भूमि का समान रूप से निर्धारण किया गया है पक्षकारान के मध्य पूर्व में आपसी सहमति से मौखिक पारिवारिक बंटवाड़े अनुसार अपनी–अपनी नई ढाणियों में निवासरत है जिसके संबंध में जियो टैग से संचित्र फोटो अवलोकनार्थ सलंग्न है। अतः उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए प्रतिवादी का वाद खारिज करते हुए विभाजन के वाद का अन्तिम निर्णय जारी किया जावे।

हमनें उभयपक्ष की बहस का मनन, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसके अनुसार पाया गया कि वादग्रस्त भूमि पक्षकार के संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है, जहां तक प्रतिवादी वकील की विभाजन को लेकर संयुक्त खातेदारी के खेत में ढाणी के खसरा नम्बर की भूमि में अपना हक होने अथवा उसमें हिस्सा दिये जाने का विवाद होने की इस्तदुआ की दलील है, ऐसी स्थिति मे वादीगण की ओर से प्रस्तुत फोटोग्राफस् एवं प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के परस्पर मुल्यांकन से यह स्पष्ट है कि पक्षकारान अपने पृथक–पृथक आसियानों में निवासरत है। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा भी प्रा.डि. के जरिये बाइ मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया है। तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त विभाजन में समस्त पक्षकार को समान रूप से हिस्से की भूमि दी गई है, यदि संयुक्त रूप से ढाणी के खसरे की भूमि में सामूहिक रूप से समस्त पक्षकार निवासरत होते तो अवश्य ही प्रत्येक खातेदार का उसमें हक निहीत होता, परन्तु जब अलग–अलग निवासरत पक्षकारान को ढाणी की भूमि के बदले उन्हें उनके वर्तमान निवासरत स्थान तथा उनके कब्जे के आधार पर परस्पर समान रूप से भूमि का विधिवत बंटवाडा प्रस्ताव मौके पर उभयपक्ष के रूबरू तैयार किया गया है, जिसमें

SDO सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:38:36 IST
Reason: SelfAttested

किसी प्रकार की त्रुटि होने अथवा विभाजन प्रस्ताव पुनः तलब किया जाना न्यायोचित नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन से स्पष्ट है कि वाद का मुख्य कारक सहखातेदारी के खेत के विभाजन को लेकर होने से उसके निपटारे हेतु मौके पर प्राप्त कब्जे काश्त के आधार पर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होती है तथा पक्षकारान के मध्य समान रूप से हिस्से में आने वाली भूमि का सकल रकबे के आधार पर निर्धारित होने की दशा में प्रतिवादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये दी गई दलील के तथ्य इस वाद के निपटारे में लागू नहीं होते है।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा मोतीसरा पटवार मण्डल पायला खुर्द के खसरा संख्या 231 रकबा 0.0566 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 232 रकबा 11.6658 हैक्टयर के संबंध मे विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्रं. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1	विरधाराम पुत्र चेनाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	मोतीसरा	231	0.0566	गै.मु. ढाणी		हरा
			232	3.8509	बा.दो.	0.58	
			योग	**3.9075**			
2	तीजोंदेवी पत्नी तगाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	मोतीसरा	232	3.9074	बा.दो.	0.59	गुलाबी
3	त्जाराम पुत्र खरताराम जाति जाट सा. देह खातेदार	मोतीसरा	232	3.9075	बा.दो.	0.58	केसरिया

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:38:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी